3464

Your Roll No. ....

## LL.B. / IV Term

R

Paper – LB – 4037 : GENDER JUSTICE

Time: 3 Hours Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note: Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any five questions.

 All questions carry equal marks. Support your answer with relevant statutory provisions and case law.

> कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

अपने उत्तर के समर्थन में सम्बद्ध कानूनी उपबंधों तथा निर्णय विधि लिखिए।

 (i) "Gender Justice addresses unequal power relations between the genders." Explain the meaning of

[P.T.O.

'Gender Justice' quoting a few definition and basic premises on which the concept of Gender justice is based.

- (ii) Why is it important to study Patriarchy as a system? Discuss whether men are also disadvantaged by Patriarchy.
- (i) ''लैंगिक न्याय का सरोकार लिंगों के बीच असमान अधिकार जनित सम्बन्धों से है।'' कुछ परिभाषाओं को और उस बुनियादी आधार को उद्धृत करते हुए लैंगिक न्याय के अर्थ को स्पष्टू कीजिए जिस पर लैंगिक न्याय की संकल्पना टिकी है।
- (ii) एक व्यवस्था के रूप में पितृतंत्र का अध्ययन किया जाना क्यों महत्वपूर्ण है? विवेचना कीजिए कि क्या पितृतंत्र से पुरुषों का भी अहित होता है?
- 2. "There is an illusion of post-feminism that most obvious forms of sexist oppression have been overcome and therefore society is no longer patriarchal." Critically examine the above statement in the light of 'Waves of Feminism'. Also highlight the chief challenges of feminist in the 21st century.
  - "नारी अधिकारवाद के पश्चात् यह भ्रम पनपा है कि यौन उत्पीड़न के सर्वाधिक स्पष्ट रूपों पर काबू पा लिया गया है, सो समाज अब पितृतंत्रीय नहीं रह गया।" 'Waves of Feminism' को ध्यान में

3464

रखते हुए उपर्युक्त कथन की समीक्षात्मक जाँच कीजिए। 21वीं शताब्दी में नारी अधिकारवाद की प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

3. "Theories of Gender Justice through having a common commitment are very diverse and have changed dramatically since their beginning." Discuss with special reference to the Liberal theory and Radical theory.

"लैंगिक न्याय के सिद्धान्तों की प्रतिबद्धता यद्यपि कॉमन होती है पर वे अति विविधरूपी होती है और उनमें उसके प्रारम्भ से नाटकीय परिर्वन हो गया है।" उदार सिद्धान्त और अतिवादी सिद्धान्त के विशेष संदर्भ में विवेचन कीजिए।

4. CEDAW is said to be a long journey from Human Rights to the Women's Human Rights. Elucidate. Also highlight the importance of CEDAW in comparision to UDHR.

कहा जाता है कि CEDAW मानव अधिकारों से नारी के मानव अधिकारों तक की लम्बी यात्रा है। व्याख्या कीजिए। UDHR की तुलना में CEDAW के महत्व पर भी प्रकाश डालिए।

5. (i) "The offence to rape defined under IPC is based on male standards. It is not founded on the violation of the women's dignity". Elaborate.

- (ii) Briefly describe the Gender Protective and Gender Corrective labour and employment laws.
- (i) ''भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत परिभाषित बलात्संग का अपराध पुरुष मानकों पर आधारित है। यह नारी गरिमा के उल्लंघन पर आधारित नहीं है।'' व्याख्या कीजिए।
- (ii) लैंगिक संरक्षण तथा लैंगिक सुधारपरक श्रम और रोजगार विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
- 6. (i) In the State of Rajasthan some villagers want to perform the 'Chunri' ceremony in the temple of Rani Sati Ji. Can any legal action be taken against them? Discuss with the help of Commission of Sati (Prevention) Act, 1987.
  - (ii) Do you think women are indecently represented in. Media. Is there any law to regulate the representation of women in Media? Briefly, discuss the provisions of law.
  - (i) राजस्थान राज्य में कुछ ग्रामवासी रानी सती जी के मंदिर में 'चुनरी' पूजा समारोह करना चाहते हैं। क्या उनके विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई हो सकती है? सती (नियंत्रण) अधिनियम, 1987 की सहायता से विवेचन कीजिए।

- (ii) क्या आप मानते हैं कि मीडिया में नारियों का अशोभनीय चित्रण होता है ? क्या मीडिया में नारियों के चित्रण को विनियमित करने के लिए कोई विधि है ? विधि के उपबंधों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए।
- 7. Parul is pursuing her Ph.D. in Science from N.D. University under the supervision of Prof. S.S. Pillai. Parul hails from Kashmir and is staying in the university hostel. Prof. Pillai wants to be aware of Parul's day to day activities and that too from morning to late evening. He is in the habit of making calls on the mobile phone of Parul asking her what is she doing, has she taken the bath, the breakfast etc. When Parul switches off her mobile, he sends her lots of SMS. When Parul resists this behaviour of Prof. Pillai, he tells her that since she is away from her parents, it is his responsibility as her supervisior to take care of her ' well-being'. Many a times he asks her to go out with him for dinner which she refuses consistently. Recently one day Prof. Pillai bought two tickets of 'Dirty Picture' and requests Parul to watch movie with him.

Can Parul file a complaint against Prof. Pillai for sexual harassment at work place. Advise Parul in this regard. Support your answer with case law.

पारुल प्रोफेसर एस.एस. पिल्लै के पर्यवेक्षण में एन.डी. यूनिवर्सिटी से विज्ञान में पी.एच.डी. कर रही है। पारुल कश्मीर निवासी है तथा युनिवर्सिटी हॉस्टल में रह रही है। प्रो. पिल्लै पारुल के दैनंदिन के, यहां तक कि सुबह से देर रात तक के कार्यकलापों की जानकारी चाहता है। उसे पारुल के मोबाइल फोन पर यह पूछते हए कॉल करने की आदत है कि वह क्या कर रही है, क्या उसने स्नान कर लिया है, नाश्ता कर लिया है. आदि। जब पारुल अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है तो वह उसे SMS भेजता रहता है। जब पारुल प्रो. पिट्टै के व्यवहार का प्रतिरोध करती है, तो वह कहता है कि क्योंकि वह अपने माता-पिता से दूर है, यह उसका पर्यवेक्षक के रूप में उत्तरदायित्व है कि वह उसकी कुशलता का ध्यान रखे। कई बार वह उससे उसके साथ बाहर चलकर डिनर करने को कहता है जिसको वह लगातार मना करती है। हाल में एक दिन प्रो. पिल्लै 'डर्टी पिक्चर' के दो टिकट खरीद लाया और उससे उसके साथ उस मूवी को देखने का अनुरोध करने लगा। क्या पारुल प्रो. पिल्लै के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हेतु शिकायत फाइल करे ? इस बारे में पारुल को सलाह दीजिए। अपने उत्तर को निर्णय विधि से पुष्ट कीजिए।

8. After the marriage, Karuna is living with her husband Varun along with his parents and sister. They are living in a house which is self acquired property of her father-in-law. After some time, the relations between Karuna and Varun become strained. Once Karuna left the house

3464

to attend the marriage of her brother. When she came back, she was denied the entry in the house. Thereafter Varun files a divorce petition against Karuna. Karuna file a petition under Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 for 'Residence Order' Will she succeed? Refer to relevant statutory provision and judicial pronouncements.

विवाह के बाद करुणा अपने पित वरुण, उसके माता-पिता तथा बहन के साथ रह रही है। वे जिस मकान में रह रहे हैं वह करुणा के श्वसुर की स्वयं अर्जित सम्पत्ति है। कुछ समय पश्चात् करुणा तथा वरुण के बीच संबंध खराब हो गए। एक बार करुणा अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए घर से चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके बाद वरुण ने करुणा के विरुद्ध तलाक की याचिका फाइल कर दी। करुणा ने स्त्री (संरक्षण) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 'निवास आदेश' हेतु याचिका फाइल कर दी। क्या वह सफल हो जाएगी? सुसंगत कानूनी उपबंधों तथा न्यायिक उद्घोषणाओं को निर्दिष्ट कीजिए।